

न्यायालय :- श्रीमती रीतु वर्मा कटारिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
नर्मदापुरम, मध्यप्रदेश

क्रमांक / 23 / 2025

नर्मदापुरम, दिनांक-08.02.2025

प्रति,

समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जिला न्यायालय नर्मदापुरम, म0प्र0,

विषय:- माह फरवरी में दिनांक 09.02.2025, 12.02.2025, 15.02.2025, 16.02.2025, 23.02.2025, 26.02.2025 को सार्वजनिक अवकाश में न्यायिक मजिस्ट्रेट्स की रिमाण्ड ड्यूटी बाबत।

-----0-----

उपरोक्त विषयांतर्गत माह फरवरी में जिला न्यायालय नर्मदापुरम के न्यायिक मजिस्ट्रेट्स की सार्वजनिक अवकाश 09.02.2025, 12.02.2025, 15.02.2025, 16.02.2025, 23.02.2025, 26.02.2025 में आपसी सहमति के आधार पर निम्नानुसार रिमाण्ड ड्यूटी निर्धारित की जाती है कि आप अपने न्यायालय में समय 03:00 बजे से 05:00 बजे तक उपस्थित रहकर रिमाण्ड ड्यूटी संपादित करेंगे।


जिला न्यायालय-नर्मदापुरम

क्र	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	दिनांक
01	श्रीमती नुरुन निशा अंसारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नर्मदापुरम	26.02.2025
02	श्रीमती प्रियंका रतौनिया सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नर्मदापुरम	12.02.2025 23.02.2025
03	सुश्री स्वाति कौशल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नर्मदापुरम	09.02.2025 15.02.2025 16.02.2025

नोट:-


1. उपरोक्त मजिस्ट्रेट में से किसी का स्थानांतरण हो जाने पर, उसका स्थान पर आये मजिस्ट्रेट उक्त दिनांक की रिमाण्ड ड्यूटी करेंगे तथा उपरोक्त मजिस्ट्रेटगण में से किसी के भी अवकाश पर जाने की दशा में या किसी कारण दिवस में अवकाश घोषित हो जाने की दशा में संबंधित मुख्यालय में उपस्थित क्रमशः कनिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्राथमिकता के साथ रिमाण्ड ड्यूटी करेंगे।

2. उक्त रिमाण्ड ड्यूटी आपसी सहमति के आधार पर निर्धारित की गयी है अतः उक्त रिमाण्ड ड्यूटी में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं लिय जावेगा।


(श्रीमती रीतु वर्मा कटारिया)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नर्मदापुरम् म0प्र0

प्रतिलिपि:-

1. माननीय प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, नर्मदापुरम की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला न्यायालय नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
3. अभिभाषक संघ नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ प्रेषित।


(श्रीमती रीतु वर्मा कटारिया)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नर्मदापुरम् म0प्र0